

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर  
बड़जलास - चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या - 44/2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1 विनोद कच्छावा पुत्र रामविलास कच्छावा निवासी कच्छावा सदन, गादी कुआ, ताउसर नागौर। मैसर्स:- कच्छावा होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट, बस स्टेड के सामने, नागौर 2 रामविलास कच्छावा मालिक निवासी कच्छावा सदन, गादी कुआ, ताउसर नागौर। मैसर्स:- कच्छावा होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट, बस स्टेड के सामने, नागौर।

आदेश

दिनांक :18.11.2024

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 16-05-2024 को मैसर्स कच्छावा होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट, बस स्टेड के सामने, नागौर पर खाद्य पदार्थ दही (लूज) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 2985 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/610/एक्ट /2024/638 दिनांक 29.05.2024 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ दही (लूज) सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण विनोद कच्छावा पुत्र रामविलास कच्छावा निवासी कच्छावा सदन, गादी कुआ, ताउसर नागौर तथा रामविलास कच्छावा निवासी कच्छावा सदन, गादी कुआ, ताउसर नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ. एस.एस.ए. 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 09-09-2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने दिनांक 11-11-2024 को अपना जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने हमारी दुकान से दही (लूज) का सैम्पल लिया जो जांच में सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। अप्रार्थीगण ने बताया कि भविष्य में खाद्य पदार्थ दही (लूज) को बेचते समय ऐसी गलती नहीं करेंगे। लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया तथा दोष मुक्त करवाने एवं कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या क्रमांक एलएस/610/एक्ट /2024/638 दिनांक 29.05.2024 के अनुसार खाद्य पदार्थ दही (लूज) का नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। इसलिये अप्रार्थी को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 01 विनोद कच्छावा पुत्र रामविलास कच्छावा निवासी कच्छावा सदन, गादी कुआ, ताउसर नागौर तथा अप्रार्थी संख्या 02 रामविलास कच्छावा निवासी कच्छावा सदन, गादी कुआ, ताउसर नागौर पर संयुक्त रूप से रूपये 50,000/- अक्षरे पच्चास हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते हैं तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चम्पालाल जीनगर)  
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
नागौर (राजस्थान)